कार्यालय नगर निगम कोटा

क्रमांकः—ननिको/एसबीएम/2018/2553-61 दिनांकः— 14/12/18

—: **विज्ञप्ति** :—

नगर निगम कोटा के क्षैत्र में सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि नागरिको को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करने एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए भारत सरकार के निम्न नियम नगर निगम कोटा में लागू किये गये है। यह नियम सभी नागरिकों, वाणिज्यिक इकाईयों, सरकारी एवं निजि संस्थाओं पर प्रभावी होंगे।

1. Solid waste management Rules 2016

2. Plastic waste management Rules 2016

3. Construction and Demolition waste management Rules 2016

4. Bulk waste Generator Rules

5. Bio Medicial waste Rules 2016

6.The Rajasthan Prevention of Defacement of Property Act 2006

उक्त नियमो की पालना करने हेतु आम नागरिको से अपील की जाती है कि :—

(1) घर एवं वाणिज्य इकाईयों से निकलने वाले गीले एवं सूखे कचरे को पृथक —पृथक रूप से संग्रहण कर नगर निगम द्वारा लगाये गये टिपरो अथवा कचरा पात्रों में डालें। (2) भवन निर्माण सामग्री/मलबा सार्वजनिक स्थलो पर नही डालें। (3) सार्वजनिक सम्पत्तियों पर बैनर, पोस्टर आदि चिपका कर विरूपण न करे। (4) पालतू जानवरों को सड़क व सार्वजनिक स्थलो पर नही छोड़े। (5) सार्वजनिक स्थलों एवं पार्को में कचरा नही डालें। कचरा नियत कचरा पोइन्ट या कचरा डिपो पर डाले (6) सार्वजनिक स्थलो पर खुले में शौच एवं पेशाब न करें। (7) पोलोथिन थेलियों का क्रय, विक्रय ,भंडारण एवं उपयोग नही करें। (8) भवन निर्माता अपने अधीन कार्यरत मजदूरो के लिए शौचालय की व्यवस्था करें।

उक्त गतिविधियों की अवहेलना पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध उक्त नियमों के प्रावधानों के साथ ही **राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009** के अन्तर्गत जुर्माना एवं कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

सूचित हो।

आयुक्त
नगर निगम कोटा

क्रमांकः—ननिको/एसबीएम/2018/2553-61 दिनांकः— 14/12/18

प्रतिलिपिः—

1. माननीय महापौर महोदय , नगर निगम कोटा।
2. माननीया उपमहापौर महोदया , नगर निगम कोटा।
3. उपायुक्त (मुख्यालय/विज्ञान नगर/रामपुरा जोन) नगर निगम कोटा।
4. लेखा अधिकारी, नगर निगम कोटा ।
5. निजि सहायक, आयुक्त, नगर निगम कोटा।
6. स्वास्थ्य अधिकारी (मुख्यालय/विज्ञान नगर/रामपुरा जोन) नगर निगम कोटा।
7. पुस्ताकालय अध्यक्ष नगर निगम कोटा को भेजकर लेख है कि सूचना को स्थानीय समाचार पत्रों के अंक में प्रकाशित करावें।
8. समस्त मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक/स्वास्थ्य निरीक्षक ,सेनं..........नगर निगम कोटा।
9. गार्ड फाईल

आयुक्त
नगर निगम कोटा

D:/ Work year 2016/M.S.Word/ Ho letter 2016

Scanned by CamScanner